

## कार्यालय जिला पंचायत, दुर्ग (छ.ग.)

ज्ञापन क्रमांक / जि.प. / 5017 / शि.क. / स्था. / 2012


दुर्ग, दिनांक : 20.12.2012

### शिक्षक (पंचायत) ग्रंथपाल नियुक्ति हेतु संशोधित विज्ञापन

जिला पंचायत, दुर्ग में डाक द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने की

अंतिम तिथि : 31.12.2012

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय रायपुर के ज्ञापन क्रं. पचा. -197/पंग्राविवि./2012/1167 दिनांक 21.08.2012, छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नवीन नियम अधिसूचना क्रमांक/पं./पंग्राविवि/22/2012/1162, दिनांक 17.08.2012 तथा क्रमांक/पंचा-142/पंग्राविवि-22/2012/1583 रायपुर दिनांक 21.11.2012 के अधीन शिक्षक (पंचायत) ग्रंथपाल के लिए जिला पंचायत दुर्ग के अधीन स्कूल शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान एवं आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में संचालित शालाओं में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु कार्यालय जिला पंचायत दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक/जि.पं./4836/शि.क./स्था./2012 दुर्ग दिनांक 07.12.2012 द्वारा इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। उक्त विज्ञापन में उल्लेखित विभागीय नियम एवं शर्तों के अंतर्गत शिक्षक (पंचायत) ग्रंथपाल भर्ती हेतु अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी.) की अनिवार्यता समाप्त की जाती है तथा छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/एफ-13-14/2009/आ.प्र. /1-3 रायपुर दिनांक 04.12.2012 द्वारा जिले के लिए जारी आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है। शेष नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी। अतः इच्छुक पात्र आवेदक अंतिम तिथि (31.12.2012) तक आवेदन पत्र केवल पंजीकृत डाक से प्रस्तुत कर सकते हैं। विस्तृत विज्ञापन जिले के वेबसाइट [www.durg.gov.in](http://www.durg.gov.in) एवं कार्यालय के सूचना फलक पर भी देखा जा सकता है।

  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत, दुर्ग

# कार्यालय जिला पंचायत, दुर्ग (छ.ग.)

ज्ञापन क्रमांक / जि.प. / 5017 / शि.क. / स्था. / 2012

दुर्ग, दिनांक : 20.12.2012

## शिक्षक (पंचायत) ग्रंथपाल नियुक्ति हेतु संशोधित विज्ञापन

जिला पंचायत, दुर्ग में डाक द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त करने की

**अंतिम तिथि : 31.12.2012**

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय रायपुर के ज्ञापन क्रं. पचा.-197/पंग्राविवि./2012/1167 दिनांक 21.08.2012, छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) (भर्ती तथा सेवा की शर्त) नवीन नियम अधिसूचना क्रमांक/पं./पंग्राविवि/22/2012/1162, दिनांक 17.08.2012 तथा संशोधित अधिसूचना क्रमांक/पंचा-142/पंग्राविवि/22/2012/1563 रायपुर दिनांक 19.11.2012 के अनुसार शिक्षक (पंचायत) ग्रंथपाल के लिए जिला पंचायत दुर्ग के अधीन स्कूल शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान एवं आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में संचालित शालाओं में रिक्त पदों की पूर्ति हेतु इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से दिनांक 24.12.2012 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये हैं। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्रमांक/एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3 रायपुर दिनांक 04.12.2012 के तहत प्राप्त निर्देशानुसार संशोधित अधिसूचना क्रमांक/एफ 13-14/2009/आ.प्र./1-3 रायपुर दिनांक 29.11.2012 के अनुसार इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी विज्ञापन क्र/जि.पं./4836/शि.क./स्था./2012 दुर्ग दिनांक 07.12.2012 में नवीन संशोधित आरक्षण रोस्टर के अनुसार प्रवर्गवार रिक्त पदों की संख्या में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

### शिक्षक (पंचायत) ग्रंथपाल

क्र.	जिला	कुल पद श्रेणीवार					कालम (अ) में दर्शा गये कुल रिक्त पदों में से महिलाओं के लिए आरक्षित पदों की संख्या				कालम (अ) में दर्शा गये कुल रिक्त पदों में से विकलांग वर्ग के लिए आरक्षित पदों की संख्या				कालम (अ) में दर्शा गये कुल रिक्त पदों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों की संख्या				कालम (अ) में दर्शा गये कुल रिक्त पदों में से मुक्त वर्ग के लिए आरक्षित पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	OBC	Total	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC	UR	SC	ST	OBC
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	दुर्ग	35	7	3	7	52	11	2	1	2	2	0	1	0	3	1	0	1	19	4	1	4
2	बेमैतरा	34	9	3	8	54	10	3	1	2	2	0	1	0	3	1	0	1	19	5	1	5
3	बालोद	32	5	21	9	67	10	2	6	3	2	0	1	1	3	1	2	1	17	2	12	4
<b>योग</b>		<b>101</b>	<b>21</b>	<b>27</b>	<b>24</b>	<b>173</b>	<b>31</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>55</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>13</b>

**टीप :-**

1. UR अनारक्षित जाति SC अनुसूचित जाति ST अनुसूचित जनजाति OBC अन्य पिछड़ा वर्ग।
2. नियमानुसार महिलाओं को 30 प्रतिशत, निःशक्त जनों को 06 प्रतिशत तथा भूतपूर्व सैनिकों को 10 प्रतिशत आरक्षण रहेंगे।
3. रिक्त पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है जिसके लिए जिला पंचायत का निर्णय अंतिम होगा।
4. पूर्व में जारी कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक/जि.पं./4836/शि.क./स्था./2012 दुर्ग दिनांक 07.12.2012 में उल्लेखित विभागीय नियम एवं शर्तों के अंतर्गत शिक्षक (पंचायत) ग्रंथपाल भर्ती हेतु अध्यापक पात्रता परीक्षा (टी.ई.टी) की अनिवार्यता समाप्त की जाती है। विज्ञापन की शेष नियम एवं शर्तें पूर्वानुसार होगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,  
जिला पंचायत, दुर्ग